न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2019 निगरानी

निगरानी - 0290/2019/मुरैना/भू.रा.

रामस्वरुप पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल आयु– 73 वर्ष, निवासी– मण्डी संतर नम्बर 4, सबलगढ, जिला मुरैना, म0प्र0 ....आवेदक

S.K.Khare
(S.K.Khare)
21/2/19

श्री सुरेन्द्र कुमार खरे एड. द्वारा आज दि. 21-2-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-2-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1-- गंगाधर पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल आयु– 74 वर्ष,

2– निरंजन पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल आयु– 64 वर्ष, निवासीगण – मण्डी संतर नम्बर 4, सबलगढ, जिला मुरैना, म0प्र0

...... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 27/12/2018 पारित द्वारा आयुक्त महोदय आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना (डॉ एम.के.अग्रवाल) जो प्रकरण कमांक 141 /.15–16/ अपील (अपर आयुक्त) में पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। निगरानी अन्तर्गत पारित आदेश एनेक्जर ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैः–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक एवं अनावेदकगण के पिता स्व0 श्री प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री खूबचंद के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 37 रक्वा 0.290 है0 सर्वे कमांक 38 रक्वा 0.300 है0 सर्वे कमांक 48 रक्वा 0.130 है0 कुल किता 3 कुल रक्वा 0.720 है0 स्थि ग्राम टोंगा तहसील सबलगढ जिला मुरैना एवं सुनहरा रोड सबलगढ की भूमि कमांक 786 मिन में से 25 वाय 60 यानि 1500 वर्गफुट का प्लॉट है। अपीलान्ट के पिता श्री प्यारेला का देहान्त हो चुका है।

2– यह कि, श्री प्यारेलाल का स्वर्गवाह हो जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की हुयी । स्व0 श्री प्यारेलाल के 5 पुत्र एवं 3 पुत्रियॉ वैध वारिस है। स्व0 श्री प्यारेलाल जी ने उपरोक्त संपत्ति का अपने जीवनकाल में घरु मौखिक बॅटरारा(वयवस्थापन) कर दिया था लेकिन राजस्व अभिलेख में स्व0 श्री प्यारेलाल जी का नाम इन्द्राज रहा जबकि विभाजन के पश्चात् अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर आधिपत्यधारी चले आ रहे है इस प्रकार उपरोक्त संपत्ति में 1/3 हिस्सा आवेदक के आधिपत्य का है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग-0290/2018/मुरैना/भू0रा0

रामस्वरूप विरूद्ध गंगाधर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार खरे अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 141/अपील/2015-16 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 27-12-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक ~~06-3-2018~~ 21.02.2019 को प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुये नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के द्वारा व्दितीय अपील में पारितआदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के.जैन) सदस्य 6.3.19	